

Entry

सेवा में,

अंचल अधिकारी
याकूलतया

पंजिकात

16/11/23

द्वारा :- अंचल निरीक्षक
याकूलतया

विषय :- सीमांकन वाद सं- 73/2022-23 के
आवेदन दिनेश माहूली के सीमांकन
आवेदन पर प्रतिवृद्धन ।

प्रसंग :- अवधीय द्वारा दिव्य चार मिदेषा ।

महाराजा,

आदेशानुसार, उपरोक्त विषयक संबंधित

माँजा, रैवाड़ पश्चिमी थाना नं-309, खवाता नं-18, खेसरा
नं-723, इकाई-0.20 एंठ अमि का सीमांकन आवेदन पर
अंचल कार्यालय सीमांकन वाद संख्या-73/2022-23 के
आलोक में निधीस्थ लिखि दिनांक-10-2-2023 को आवेदित
स्थल परिसर आवेदन, आशुदीक्षा तथा ग्रामिणां से चैट
किया तथा आवेदित युक्ति का अंगजात अकलकन किया,
शालसर्वे 1960-61 ई० की फाइनल नक्सा के साथ
स्थल जमीन मिलान करत हुये आवेदित खेसरा का
सीमा पर मापी कएउ उपरोक्त खसमि के उपरोक्त
में पलभ (जाड़ी) करवा किया गया ।

सीमांकन शांति पूर्ण समाप्त हुआ । सीमांकन अवधि
में किसी न किसी प्रकार बाधा/आपत्ति नहीं किया ।
सीमांकन के खेसरा नं-723 का शालसर्वे नक्सा
0.22 एंठ आ-रघ है परन्तु शालसर्वे खेसरा नं-723 का
0.20 एंठ दर्ज है । इस प्रतिवृद्धन के साथ एंठ प्रति रस
नक्सा स्वलग्न किया गया ।